छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा पंचम सत्र अंक-01

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020

(पौष 26, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" की धुन बजाई गई ।

2. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान **"जन गण मन"** की धुन बजाई गई।)

3. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तथा श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा अभिभाषण में उसी दिन चर्चा कराए जाने संबंधी गलत परम्परा स्थापित किये जाने के विरोध में सदन से बाहर जाने का कथन करते हुए बाहर चले गये ।

4. राज्यपाल का अभिभाषण (क्रमश:)

मानानीय राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया ।

(राष्ट्रगान **"जन गण मन"** की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदया ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आज दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अपरान्ह 3.00 बजे का समय निर्धारित किया । उक्त प्रस्ताव पर आज दिनांक 16 जनवरी,2020 को अपरान्ह- 1.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विधेयक तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्यसभा सचिवालय का सूचना पत्र **पटल पर रखा ।**

7. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री शिवरतन शर्मा

(विधान सभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 11.26 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक स्थगित की गई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक,2019 के अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया है ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. जन्मदिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा को जन्मदिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

10. संकल्प

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन में संकल्प (दिनांक 16 जनवरी, 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि- "यह कि यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां सशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है ।"

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

11. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने सदन का ध्यानाकर्षित कराया कि माननीय मुख्यमंत्री के आसन के समीप एक इलेक्ट्रानिक डिवाईस लगाई गई है, ऐसे यंत्र को सदस्यों की जानकारी में नहीं होने, लगाने का अधिकार किसी को नहीं है । माननीय सदस्य ने मांग की कि यंत्र को निकलवाया जाये उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ की जाये ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि सचिवालय ने यदि कोई व्यवस्था की है तो उसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि पेपरलेस सिस्टम एडॉप्ट करने वाले हैं, उस संदर्भ में इस डिवाईस को लगाया गया है कि हम बैठे-बैठे किस प्रकार से अपनी जानकारी ले सकते हैं । उस पर भी यदि आपको शंका कुशंका है तो मैं पांच मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं ।

(इलेक्ट्रानिक्स डिवाईस को निकाला गया ।)

(1.12 बजे विधानसभा कार्यवाही स्थगित की जाकर 1.19 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

12. संकल्प (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(उपाध्यक्ष (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, श्री अजीत जोगी, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, चन्द्रदेव प्रसाद राय, शिवरतन शर्मा, संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, देवव्रत सिंह, पुन्नूलाल मोहले एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

13. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने गलत परम्परा स्थापित किये जाने के विरोध में सदन से बाहर जाने का कथन करते हुए सदन से बाहर चले गये ।

14. कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अब श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में माननीय सदस्यों की ओर से कोई भी संशोधन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

अत: अब माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

श्री शिशुपाल शोरी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

अपरान्ह 03.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा